

C/85/2024 - G.C.M.S. - 2024/170

खोजीय सिद्ध व अन्य / अणपत्र सिद्ध व अन्य  
151. CPC

21/08/24

प्रा. पत्र पैशा व कुलाम उप. 'अणपत्र बहस सुनी  
गई। मुताबिक बहस अचि. प्राची -" प्रति. सं. 32,  
33 का विरासतन mutation दिनांक 23/03/21  
को जारी स्पगन के चलते दर्ज नहीं हो पा  
रहा है, अतः विरासतन mutation की अनुमति  
दी जावे।"

मुताबिक बहस अचि. अशार्थी -" प्रति. सं.  
32, 33 के वारिसान द्वारा कोई प्रा. पत्र पैशा  
नहीं किया गया है, न ही उन्हें पावे में  
पत्रकार बनाया गया है। अतः प्रा. पत्र खारिज  
कराया जावे।"

उपरोक्त बहस के आधार पर प्रा.  
पत्र खारिज किया जाता है।



प्रियंका  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर